बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

विभिन्न मासिक बैठकों में परिवहन विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान कई बार वाहनों के चालक वाहन छोड़कर भाग जाते हैं एवं अनियमित/ओवरलोडेड वाहन को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में कठिनाई होती है। अतएव कार्यहित एवं राजस्व संग्रहण हित में यह निर्णय लिया जाता है कि जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिहवन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्त्तन पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी आदि परिवहन विभागीय पदाधिकारी वाहन चेकिंग के दौरान आवश्यकतानुसार दो चालक स्थानीय दर अथवा संबंधित जिला नजारत के पारिश्रमिक दर पर रख सकते हैं, जिसका भुगतान कार्यालय व्यय मद की राशि से किया जायेगा। उक्त चालक सरकारी रूप से नियोजित अथवा दैनिक वेतन भोगी के रूप में नहीं माने जायेंगे।

6/6/14
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार।

ज्ञापांक 3253 पटना, दिनांकः– 06/06/2014

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/विशेष सचिव, परिवहन विभाग/अपर परिवहन आयुक्त/संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग/संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी आरक्षी उपमहानिरीक्षक/जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिहवन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/14
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार।